डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :—श्री कल्पित शिवरान आर.ए.एस.

मि०न० — 58/2024

अनवान : —

1. सोहनलाल जांगिड़ पुत्र गोपालराम जाति खाती निवासी मोतीपुराबास तहसील भादरा।
2. सुभाषचन्द्र पुत्र गोपालराम जाति खाती निवासी मोतीपुराबास तहसील भादरा।

:—वादीगण

बनाम

1. गोपालराम पुत्र हंसराज उर्फ हंसराम जाति खाती निवासी मोतीपुराबास तहसील भादरा
2. आत्माराम जांगिड़ पुत्र गोपालराम जाति खाती निवासी मोतीपुराबास तहसील भादरा।
3. कमला उर्फ कमलेश पुत्री गोपालराम पत्नी रतनलाल जाति खाती निवासी डबावाली सिरसा। मृतक

3(1) नरेश कुमार पुत्र कमलेश उर्फ कमला पुत्री गोपालराम पत्नी रतनलाल जाति खाती निवासी डबावाली सिरसा।

3(2) सुनील कुमार पुत्र कमलेश उर्फ कमला पुत्री गोपालराम पत्नी रतनलाल जाति खाती निवासी डबावाली सिरसा।

4. सिलोबना पुत्री गोपालराम पत्नी मनीराम जाति खाती निवासी मोठसरा तहसील भादरा
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।
6. एस०बी०आई० बैंक जरिये शाखा प्रबंधक भादरा।

:—प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ कल्पित शिवरान उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादी श्री सुरेन्द्र गढ़वाल व वकील प्रतिवादीगण श्री विनोद सिंगाठिया की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक राजीनामा आंशिक डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 11 बीएचडी के खाता सं० 10/8 के मु० न० 4 के किला न० 1, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20 मु० न० 5 के किला न० 14, 15, 16, 17 कुल रकबा 2.5290है० नहरी कृषि भूमि प्रतिवादी सं० 1 गोपाल के नाम व रोही मौजा चक करनपुरा बारानी के खाता सं० 62/54 के खसरा सं० 520 की 1.8300है० बारानी कृषि भूमि प्रतिवादी सं० 1 गोपाल के नाम व रोही मौजा 12 बीएचडी के खाता सं० 12/15 के मु० न० 10 के किला न० 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 7, 8, 9, 13, 14, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 17, 25 कुल 1.7450है० जिसमें नहरी 1.6320है०, गै० मु० खाला 0.113है० कृषि भूमि प्रतिवादी सं० 1 गोपाल के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है उपरोक्त वादभूमि में से प्रतिवादी सं० 1 गोपाल अकेले के बजाए वादीगण सं० 1 सोहनलाल जांगिड, वादीगण सं० 2 सुभाषचन्द्र व प्रतिवादी सं० 1 गोपालराम व प्रतिवादी सं० 2 आत्माराम जांगिड को बहिस्सा बराबर के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है चुंकि प्रतिवादी सं० 3(1), 3(2)व 4 ने अपना सम्पूर्ण हक व हिस्सा वादीगण व प्रतिवादी सं० 1 व 2 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क एवं स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि रहन है तो रहन मुक्त होने के पश्चात राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.06.09 11:09:04 IST
Reason: SelfAttested

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 21/5/2.. को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(कल्पित शिवरान) R.A.S

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

भादरा जिला हनुमानगढ़

पुरानी माता सरोज
आर निवासी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :—श्री कल्पित शिवरान आर.ए.एस.

प्र०न० — 58/2024

उनवान : —

1. सोहनलाल जांगिड पुत्र गोपालराम जाति खाती निवासी मोतीपुराबास तहसील भादरा।
2. सुभाषचन्द्र पुत्र गोपालराम जाति खाती निवासी मोतीपुराबास तहसील भादरा।

:—वादीगण

बनाम

1. गोपालराम पुत्र हंसराज उर्फ हंसराम जाति खाती निवासी मोतीपुराबास तहसील भादरा
2. आत्माराम जांगिड पुत्र गोपालराम जाति खाती निवासी मोतीपुराबास तहसील भादरा।
3. कमला उर्फ कमलेश पुत्री गोपालराम पत्नी रतनलाल जाति खाती निवासी डबावाली सिरसा। मृतक

3(1) नरेश कुमार पुत्र कमलेश उर्फ कमला पुत्री गोपालराम पत्नी रतनलाल जाति खाती निवासी डबावाली सिरसा।

3(2) सुनील कुमार पुत्र कमलेश उर्फ कमला पुत्री गोपालराम पत्नी रतनलाल जाति खाती निवासी डबावाली सिरसा।

4. सिलोचना पुत्री गोपालराम पत्नी मनीराम जाति खाती निवासी मोठसरा तहसील भादरा
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।
6. एस0बी0आई0 बैंक जरिये शाखा प्रबंधक भादरा।

:—प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :— श्री सुरेन्द्र गढवाल वादी
श्री विनोद सिंगाठिया प्रतिवादी

निर्णय दिनांक:

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 11 बीएचडी के खाता सं0 10/8 के मु0 न0 4 के किला न0 1, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20 मु0 न0 5 के किला न0 14, 15, 16, 17 कुल रकबा 2.5290है0 नहरी कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 गोपाल के नाम व रोही मौजा चक करनपुरा बारानी के खाता सं0 62/54 के खसरा सं0 520 की 1.8300है0 बारानी कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 गोपाल के नाम व रोही मौजा 12 बीएचडी के खाता सं0 12/15 के मु0 न0 10 के किला न0 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 7, 8, 9, 13, 14, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 17, 25 कुल 1.7450है0 जिसमें नहरी 1.6320है0, गै0 मु0 खाला 0.113है0 कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 गोपाल के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी व प्रतिवादीगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि व रिति—रिवाज से शासित है। वाद भूमि वादी की पैतृक सम्पति है। जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा निहित है। वादी अपने हिस्से की भूमि को अपने दर्ज करवाने के लिए कहा तो प्रतिवादीगण आजकल आजकल करने लगे। अतः वादी अपने हिस्से की भूमि दर्ज करवा पाने का कानूनी अधिकारी है। यह ही विनाय मुखासमत है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.06.09 11:09:04 IST
Reason: SelfAttested

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त वादीगण व प्रतिवादीगण 1 व 2, 3(1), 3(2), व 4 ने आपसी सहमती से राजीनामा पेश किया। प्रतिवादी सं0 5 की ओर से जवाब पेश किया गया। व प्रतिवादी सं0 6 की तामिल हो चुकी है व जवाब पेश नहीं करने का निवेदन किया।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने निवेदन किया वाद भूमि रोही मौजा चक 11 बीएचडी, चक 12 बीएचडी व करनपुरा बारानी वादी की

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

पैतृक सम्पति है। जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा निहित है अतः मुताबिक राजीनामा वाद वादी स्वीकार किये जाने का निवेदन है। जिस पर वकील प्रतिवादीगण ने भी सहमती प्रकट की।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की वहस पर मनन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में वादी ने रोही मोजा चक 11 बीएचडी के खाता सं0 10/8 के मु0 न0 4 के किला न0 1, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20 मु0 न0 5 के किला न0 14, 15, 16, 17 कुल रकवा 2.5290है0 नहरी कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 गोपाल के नाम व रोही मौजा चक करनपुरा बारानी के खाता सं0 62/54 के खसरा सं0 520 की 1.8300है0 बारानी कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 गोपाल के नाम व रोही मौजा 12 बीएचडी के खाता सं0 12/15 के मु0 न0 10 के किला न0 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 7, 8, 9, 13, 14, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 17, 25 कुल 1.7450है0 जिसमें नहरी 1.6320है0, गै0 मु0 खाला 0.113है0 कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 गोपाल के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में अपने हकों की घोषणा चाही है। प्रस्तुत दस्तावेजों से उक्त वाद भूमि पैतृक सम्पति है जिसमें वादी के साथ–साथ प्रतिवादीगण का जन्म से हक हिस्सा निहित है। प्रतिवादी सं0 1 के वादीगण व प्रतिवादी सं0 1, 2, 4 व प्रतिवादी सं0 3 की दौराने दावा मृत्यु होने के कारण उसके कानूनी व जायज वारिसान 3(1), 3(2) के अलावा अन्य कोई वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। उपरोक्त वाद भूमि में वादी सं0 1 व 2 के साथ साथ प्रतिवादी सं 1, 2, 4 व 3(1), 3(2) बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचानुसार वाद वादी स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

अतः वाद वादी मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है की रोही मोजा चक 11 बीएचडी के खाता सं0 10/8 के मु0 न0 4 के किला न0 1, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20 मु0 न0 5 के किला न0 14, 15, 16, 17 कुल रकबा 2.5290है0 नहरी कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 गोपाल के नाम व रोही मौजा चक करनपुरा बारानी के खाता सं0 62/54 के खसरा सं0 520 की 1.8300है0 बारानी कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 गोपाल के नाम व रोही मौजा 12 बीएचडी के खाता सं0 12/15 के मु0 न0 10 के किला न0 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 7, 8, 9, 13, 14, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 17, 25 कुल 1.7450है0 जिसमें नहरी 1.6320है0, गै0 मु0 खाला 0.113है0 कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 गोपाल के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है उपरोक्त वादभूमि में से प्रतिवादी सं0 1 गोपाल अकेले के बजाए वादीगण सं0 1 सोहनलाल जांगिड, वादीगण सं0 2 सुभाषचन्द्र व प्रतिवादी सं0 1 गोपालराम व प्रतिवादी सं0 2 आत्माराम जांगिड को बहिस्सा बराबर के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है चुंकि प्रतिवादी सं0 3(1), 3(2)व 4 ने अपना सम्पूर्ण हक व हिस्सा वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 व 2 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क एवं स्टाम्प डयूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरांत उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करें। पर्चा डीकी जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 27/5/25 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.06.09 11:09:04 IST
Reason: SelfAttested

(कल्पित शिवरान)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
मादरा जिला हनुमानगढ़